प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य/निदेशक,
परिषद से सम्बद्ध,
समस्त निजी क्षेत्र की पालीटेक्निक संस्था।

पत्रांकः प्राशिप/परिषद/2024/5412 **लखनऊः दिनांकः** 12.08.2024

विषयः स्वतंत्रता दिवस–2024 के अवसर पर ''हर घर तिरंगा अभियान'' एवं ''काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव'' के सफल आयोजन के संबंध में।

महोदय,

कृपया, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश कानपुर के पत्र सं0: 35745–941/जे0–प्रशा0–विविध, कानपुरः दिनांकः 08.08.2024 **(छायाप्रति संलग्न)** के साथ संलग्न उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं0: 16–3010(099)/3/2020, दिनांकः 06.08.2024 के साथ संलग्न संस्कृति अनुभाग, उ0 प्र0 शासन के पत्र दिनांकः 31.07.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिनके माध्यम से अवगत कराया गया है कि गत वर्षो की भांति इस वर्ष भी दिनांकः 13 से 15 अगस्त, 2024 के मध्य ''हर घर तिरंगा अभियान'' एवं ''काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव'' का अयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्र की भावना को जागृत करते हुए स्वतंत्रता के प्रतीकों के प्रति सम्मान का भाव उजागर करना है।

उपरोक्त के संबंध में प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश कानपुर के उक्त पत्र दिनांकः 08.08.2024, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांकः 06.08.2024 तथा संस्कृति अनुभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांकः 31.07.2024 द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देशों के क्रम में ''हर घर तिरंगा अभियान'' एवं ''काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव'' का सफल आयोजन दिनांकः 13 से 15 अगस्त, 2024 तक किया जाना है।

उक्त के अनुक्रम में निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त पत्रों द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देशों के क्रम में ''हर घर तिरंगा अभियान'' एवं ''काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव'' का सफल आयोजन कराने संबंधी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(मानेन्द्र कुमार कनौजिया)
उप सचिव/कृते सचिव

पृ0सं0: प्राशिप/परिषद/2024/5413-14 **तद्दिनांकः** 12.08.2024

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. संयुक्त सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानपुर।

(मानेन्द्र कुमार कनौजिया)
उप सचिव/कृते सचिव

ई–मेल

प्रेषक,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा,
उ0प्र0, कानपुर।

सेवा में,

समस्त प्रधानाचार्य,
राजकीय एवं अनुदानित पालीटेक्निक संस्थान,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः 35745-941 /जे0–प्रशा0–विविध कानपुर : दिनांक : 08.08. ,2024

विषयः स्वतंत्रता दिवस–2024 के अवसर पर "हर घर तिरंगा अभियान" एवं "काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव" के सफल आयोजन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन के पत्र संख्या–16–3010(099)/3/2020 दिनांक 06.08.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छाया प्रति संलग्न)।

उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2024 के मध्य "हर घर तिरंगा अभियान" एवं काकोरी ट्रेन एक्शन के 100वीं वर्षगॉठ के अवसर पर "काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव" का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों का उददेश्य प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करते हुए स्वतंत्रता के प्रतीकों के प्रति सम्मान का भाव उजागर करना है।

उपरोक्त के संबंध में निदेशालय द्वारा पूर्व प्रेषित पत्र संख्या–34236–402/ई–प्रशा0–सरकुलर दि0 02.08.2024 के क्रम में पुनः अवगत कराना है कि शासन के उक्त पत्र दिनांक 06.08.2024 तथा संस्कृति अनुभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 31.07.2024 द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देशों के क्रम में "हर घर तिरंगा अभियान" एवं काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव" के सफल आयोजन हेतु निम्नानुसार कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना हैः

क्रमांक	दिनांक	कार्यक्रमों का विवरण
1–	13.08.2024	• विभाग के अधीनस्थ समस्त संस्थानों में प्रार्थना सभा के समय/प्रातःकाल झंडागीत गायन का आयोजन किया जाये। • छात्र/छात्राओं के मध्य स्लोगन लेखन/पेंटिंग/निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाये।
2–	13.08.2024	• संस्थान स्तर पर वृक्षारोपण किया जाये। स्वच्छ भारत मिशन, स्वावलंबन एवं स्वदेशी के प्रति जन–जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया जाए।
3–	14.08.2024	• वाद–विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाये।
4–	14.08.2024	• स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान के ऊपर कार्यक्रम आयोजित किया जाए एवं काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव के सम्बन्ध में भी विस्तृत जानकारी छात्रों को प्रदान की जाये।
5–	15.08.2024	• संस्थान स्तर पर वृहद झंडारोहण का कार्यक्रम किया जाये। • समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक आदि का आयोजन कराया जाये।

अतः अनुरोध है कि कृपया "हर घर तिरंगा" अभियान एवं "काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव" के सफल आयोजन हेतु उपर्युक्तानुसार कार्यक्रमों का आयोजन कराते हुए संस्कृति अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 31.07.2024 में प्रदत्त अन्य निर्देशों का अनुपालन करने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(आशीष गुप्ता)
प्रधानाचार्य (मुख्यालय)
कृते निदेशक प्राविधिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश।

पृ0सं0 35942-50 / जे0-प्रशा0विविध तददिनांकः 08.08.24

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, लखनऊ को उपरोक्त पत्र के संदर्भ में।
2- निदेशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0, कानपुर।
3- सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय से कि निजी क्षेत्र की संस्थाओं को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
4- सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
5- समस्त संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0।
6- नजारत अधिकारी, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

(आशीष गुप्ता)
प्रधानाचार्य (मुख्यालय)
कृते निदेशक प्राविधिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश।

समयबद्ध/महत्त्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता

प्रेषक,

प्रभाकर चन्द्र मिश्र,

संयुक्त सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. कुलसचिव, ए0के0टी0यू0, उ०प्र० लखनऊ।
2. कुलसचिव, एच0बी0टी0यू0, उ०प्र० कानपुर।
3. कुलसचिव, एम0एम0एम0यू0टी0, उ०प्र० गोरखपुर।
4. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, कानपुर।
5. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
7. निदेशक, बुंदेलखण्ड अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, झांसी।
8. निदेशक, कमला नेहरु प्रौद्योगिकी संस्थान, सुल्तानपुर।
9. निदेशक, समस्त राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, उ०प्र०।
11. निदेशक, उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर।
12. निदेशक, आई०आर०डी०टी०, उ०प्र० कानपुर।
13. सचिव, प्रवेश एवं फीस विनियम समिति, लखनऊ।
14. प्रधानाचार्य, समस्त राजकीय एवं अनुदानित पॉलिटेक्निक, उ०प्र० (द्वारा निदेशक, प्रा०शि०)

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक:06-08-2024

विषय- स्वतंत्रता दिवस-2024 के अवसर पर "हर घर तिरंगा" अभियान एवं "काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव" के सफल आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2024 के मध्य " हर घर तिरंगा अभियान" एवं काकोरी ट्रेन एक्शन के 100वीं वर्षगाँठ के अवसर पर " काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव" का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट प्रेम की भावना को जागृत करते हुए स्वतंत्रता के प्रतीकों के प्रति सम्मान का भाव उजागर करना है।

2. सूच्य है कि शासन के पत्र संख्या: I/708747/2024 दिनांक: 02.08.2024 द्वारा संस्कृति अनुभाग, उ०प्र० शासन के पत्र दिनांक: 31.07.2024 (छायाप्रति संलग्न) की प्रति प्रेषित की गयी है जिसके

द्वारा स्वतंत्रता दिवस-2024 के अवसर पर "हर घर तिरंगा" अभियान को सफल बनाये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं।

2. संस्कृति अनुभाग, उ०प्र० शासन के पत्र दिनांक: 31.07.2024 द्वारा प्रदत्त दिशा-निर्देशों के क्रम में " हर घर तिरंगा अभियान" एवं " काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव" के सफल आयोजन हेतु निम्नानुसार कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है:

क्रमांक	दिनांक	कार्यक्रमों का विवरण
1.	13.08.2024	• विभाग के अधीनस्थ समस्त संस्थानों में प्रार्थना सभा के समय/प्रातःकाल झंडागीत गायन का आयोजन किया जाए। • छात्र-छात्राओं के मध्य स्लोगन लेखन/पेंटिंग/निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए।
2.	13.08.2024	• संस्थान स्तर पर वृक्षारोपण किया जाए। स्वच्छ भारत मिशन, स्वावलंबन एवं स्वदेशी के प्रति जन-जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया जाए।
3.	14.08.2024	• वाद-विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए।
4.	14.08.2024	• स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान के ऊपर कार्यक्रम आयोजित किया जाए एवं काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव के सम्बन्ध में भी विस्तृत जानकारी छात्रों को प्रदान की जाए।
5.	15.08.2024	• संस्थान स्तर पर वृहद् झंडारोहण का कार्यक्रम किया जाए। • समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक आदि का आयोजन कराया जाए।

3. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया "हर घर तिरंगा" अभियान एवं "काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव" के सफल आयोजन हेतु उपर्युक्तानुसार कार्यक्रमों का आयोजन कराते हुए संस्कृति अनुभाग, उ०प्र० शासन के पत्र दिनांक: 31.07.2024 में प्रदत्त अन्य निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक: यथोक्त।</u>

भवदीय,

Signed by
Prabhakar Chandra Mishra
(प्रभाकर चन्द्र मिश्र)
संयुक्त सचिव।
Date: 06-08-2024 14:58:41

महत्वपूर्ण

संख्या- 278 /2024/ 2162 /चार-2024

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संस्कृति अनुभागः **लखनऊः दिनांकः 31 जुलाई, 2024**

विषयः-स्वतंत्रता दिवस-2024 के अवसर पर 'हर घर तिरंगा' अभियान के सम्बन्ध में।

महोदय,

आजादी का अमृत महोत्सव' के अन्तर्गत प्रदेश में **'हर घर तिरंगा'** अभियान 2022 व 2023 का भव्यपूर्ण सफल क्रियान्वयन किया गया। प्रदेश के समस्त विभागों ने इन अभियानों में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। विगत वर्षों में 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में समस्त आवासित घरों, सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयों एवं समस्त शिक्षण संस्थानों पर क्रमशः लगभग 5 करोड़ एवं 4.5 करोड़ तिरंगा फहराते हुए कीर्तिमान स्थापित किया गया है। इस संबंध में सभी से यह भी अनुरोध किया गया था कि 15 अगस्त, 2023 के उपरान्त इन झण्डों को आजादी का अमृत महोत्सव के स्मृति चिन्ह के रूप में सुरक्षित रखा जायेगा। इस तरह से प्रत्येक घर में सुरक्षित इन झंडों को इस वर्ष पुनः दिनांक 13-15 अगस्त, 2024 के मध्य संचालित हर घर तिरंगा अभियान में उपयोग में लाने के लिए प्रेरित किया जाए। झण्डों को पुनः उपयोग में लाने हेतु झण्डा संहिता का अनुपालन करते हुए 'हर घर तिरंगा' की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

2- कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्रप्रेम की भावना को जागृत करते हुए स्वतंत्रता के प्रतीकों के प्रति सम्मान का भाव उजागर करना है। इसी के दृष्टिगत पुनः दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2024 के मध्य सम्पूर्ण देश में हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में **"हर घर तिरंगा"** कार्यक्रम को सफल बनाये जाने हेतु निम्नवत् कार्यवाही की जानी हैः-

(1) विगत वर्ष की भांति 'हर घर तिरंगा' अभियान हेतु झण्डों की अतिरिक्त आवश्यकता की आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों के लिये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा दो करोड़ झण्डों का उत्पादन करके की जायेगी, जिसका भुगतान पंचायती राज विभाग द्वारा किया जायेगा एवं शहरी क्षेत्रों में झण्डों की आपूर्ति हेतु 50 लाख झण्डों का उत्पादन राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के माध्यम से किया जायेगा, जिसका भुगतान नगर विकास विभाग द्वारा किया जायेगा।

(2) समस्त जनपदों में जिलाधिकारियों द्वारा झण्डा उत्पादन इकाईयों- जैसे एन0जी0ओ0, लघु उद्योगों, खादी एवं ग्रामोद्योग, निजी सिलाई केन्द्र एवं अन्य उत्पादनकर्ताओं को सक्रिय करते हुए झण्डों का उत्पादन किया जाए।

(3) राज्य हथकरघा निगम के पास उपलब्ध झण्डों की आपूर्ति नगर विकास विभाग द्वारा शहरी क्षेत्र में की जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(4) जेम पोर्टल/ऑन लाइन शापिंग पोर्टल पर उपलब्ध झण्डों के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए आमजनमानस को प्रेरित किया जाए। राशन की दुकानों/पेट्रोल पम्पों/घरेलू गैस विक्रय केन्द्रों/ग्राम पंचायत भवनों/ तहसील/विकास खण्ड कार्यालयों/ऑगनबाड़ी केन्द्रों/जनसुविधा केन्द्रों आदि में झण्डों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

(5) दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2024 तक आमजनमानस को अपने-अपने घरों, कार्यालयो, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों/ औद्योगिक प्रतिष्ठानों/शैक्षणिक प्रतिष्ठानों/ऑगनबाड़ी केन्द्रों/अस्पतालों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों में एफ0एम0/रेडियो चैनल/स्थानीय केबिल नेटवर्क/प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया/ टोल प्लाजा/बस स्टेशनों/मेट्रो स्टेशनों आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कर झण्डा फहराने हेतु प्रेरित किया जाए।

(6) समस्त सरकारी कार्यालय/शिक्षण संस्थान खादी से निर्मित ध्वज का ही आरोहण करेंगे। खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा खादी से निर्मित ध्वजों की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।

(7) समस्त विकास प्राधिकरण/औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय समितियों के साथ बैठक कर तिरंगा अपने प्रतिष्ठानों में सी0एस0आर0 संसाधनों के माध्यम से क्रय कर फहराये जाए।

(8) मा0 जनप्रतिनिधिगण के साथ भी पृथक से बैठक कर उन्हें कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत जानकारी दे दी जाये।

(9) गृह विभाग सुनिश्चित करे कि पुलिस विभाग के पब्लिक एड्रेस सिस्टम क्रियाशील रहे। दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2024 के मध्य झण्डा गीत, राष्ट्रीय गीतों के साथ ही साथ हर घर तिरंगा कार्यक्रम के संबंध में सूचनाओं का प्रसारण होता रहे। दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2024 के मध्य गृह विभाग द्वारा शहीद स्मारकों पर राष्ट्रधुन के साथ पुलिस/पी0ए0सी0 बैण्ड का वादन किया जाए।

(10) दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2024 तक समस्त सरकारी भवनों पर तिरंगा लाइटिंग करायी जाए।

(11) नगर विकास विभाग एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े समस्त स्थलों की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए एवं साइनेज भी लगवाये जाए।

(12) समस्त शिक्षण संस्थाओं में हर घर तिरंगा से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए, जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उक्त आयोजन के संबंध में शासन से निर्गत आदेशों का प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं द्वारा भी पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(13) सेल्फी/रील्स/वीडियो/झण्डे के साथ फोटो अथवा देशभक्ति/झण्डागीत के साथ वीडियो अभियान से जुड़ी वेबसाइट harghartiranga.com पर अपलोड करने हेतु आमजनमानस को प्रेरित किया जाए।

3- योजना का कार्यान्वयन-

(1) हर घर तिरंगा कार्यक्रम हेतु केन्द्र सरकार द्वारा झण्डा संहिता में वर्ष 2021 में संशोधन किया गया है। **(संलग्नक-1)**

(2) हर घर तिरंगा कार्यक्रम हेतु नागरिकों को झण्डा फहराने की विधि तथा अन्य जानकारियों से स्पष्ट रूप से अवगत कराया जाए। **(संलग्नक-2)**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) हर घर तिरंगा कार्यक्रम के प्रभावी समन्वय हेतु जनपदों द्वारा की गयी कार्यवाही की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट https://culturalevents.in पर उपलब्ध गूगल लिंक के माध्यम से अपलोड किया जाए।

4- **'हर घर तिरंगा'** अभियान के कार्यान्वयन हेतु समस्त जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में निम्नानुसार समिति गठित की जाती है:-

जिलाधिकारी	अध्यक्ष
पुलिस आयुक्त द्वारा नामित पुलिस उपायुक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	उपाध्यक्ष
मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी/नगर पालिका/नगर पंचायत	सदस्य
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, छावनी परिषद	सदस्य
मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य
जिला विकास अधिकारी	सदस्य
जिला प्रोबेशन अधिकारी	सदस्य
जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
उप निदेशक/जिला सूचना अधिकारी	सदस्य
उपनिदेशक पर्यटन/क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी/पर्यटक अधिकारी	सदस्य
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी	सदस्य
कार्यक्रम अधिकारी(एकीकृत बाल विकास योजना)	सदस्य
जिला युवा कल्याण अधिकारी	सदस्य
परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण	सदस्य
प्राचार्य, आई0टी0आई0	सदस्य
जिला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी	सदस्य
महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य
जिला समन्वयक, नेहरू युवा केन्द्र	सदस्य
समन्वयक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	सदस्य
समन्वयक, नागरिक सुरक्षा संगठन	सदस्य
एन0सी0सी0 के अधिकारी/एन0एस0एस0 के समन्वयक	सदस्य
जिलाधिकारी द्वारा नामित उद्योग मण्डलों/व्यापार मण्डलों के प्रतिनिधिगण	सदस्य
जिला पंचायतीराज अधिकारी	सदस्य सचिव

उपरोक्तानुसार गठित समिति के सदस्यों की सूची दृष्टान्त के रूप में है। जिलाधिकारी अपनी सुविधानुसार इसमें सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। विकास खण्ड स्तर पर भी इसी प्रकार से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

समितियों का गठन करा लिया जाए जिसमें एक जिला स्तरीय एक अधिकारी को नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी दी जाये।

अतएव, उपरोक्त निर्देशानुसार प्रत्येक जनपद में व्यापक जनसहभागिता से **'हर घर तिरंगा'** कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
मनोज कुमार सिंह
मुख्य सचिव।

संख्या- 278 /2024/ 2162(1) /चार-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री, उत्तर प्रदेश।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
मुकेश कुमार मेश्राम
प्रमुख सचिव

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संलग्नक–1

File No. 02/01/2020-Public (Part-III)
Government of India
Ministry of Home Affairs
(Public Section)
******

North Block, New Delhi
Dated 30th December, 2021

ORDER

Subject: Amendment in the Flag Code of India, 2002- Reg.

The use/display/hoisting of the Indian National Flag is governed by the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 and the Flag Code of India, 2002, which are available on this Ministry's website www.mha.gov.in. With the approval of the Competent Authority, paragraph 1.2 of Part-I of the Flag Code of India, 2002 has been amended and it shall be read as under :-

"1.2 The National Flag of India shall be made of hand spun and hand woven or machine made, cotton/polyester/wool/silk khadi bunting".

(Vijay Kumar)
Deputy Secretary to the Government of India
Tele No. 2309 3101

To

The Chief Secretaries/Administrators of
All State Governments/UT Administrations,
Secretaries of all Ministries/Departments of Government of India.

Copy to:
1. President's Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi.
2. Vice – President's Secretariat, New Delhi.
3. Prime Minister's Office, South Block, New Delhi.
4. Cabinet Secretariat, New Delhi.
5. Office of all Governors.
6. Election Commission of India, New Delhi.
7. Lok Sabha Secretariat, New Delhi.
8. Rajya Sabha Secretariat, New Delhi.
9. Registrar, Supreme Court of India, New Delhi.
10. Registrar, all High Courts.
11. Office of Comptroller and Auditor General of India, New Delhi.
12. The Union Public Service Commission, New Delhi.
13. Central Vigilance Commission, New Delhi.
14. NITI Aayog, Yojana Bhawan, New Delhi.
15. All attached & Subordinate Offices of the Ministry of Home Affairs.
16. 5 Spare Copies.

(Vijay Kumar)
Deputy Secretary to the Government of India
Tele No. 2309 3101

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-2

झण्डा तैयार करने हेतु निर्देश

1- झण्डे का आकार आयताकार होना चाहिए।

2- इसकी लम्बाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि झण्डे की लम्बाई 3 फीट हो तो चौड़ाई 2 फीट होनी चाहिए।

3- झण्डा बनाने की सामग्री खादी अथवा हाथ से कता हुआ कपड़ा/मशीन से बना हुआ कपड़ा/सूती/पॉलीस्टर/ऊनी/सिल्क आदि हो सकती है।

4- झण्डे तीन रंगों में सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद तथा नीचे हरे रंग का प्रयोग कर बनाये जायेंगे।

5- सफेद पट्टी में 24 तीलियों वाले अशोक चक्र को बाद में प्रिन्ट किया जाना चाहिए।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

झण्डा फहराने के नियम

1- प्रत्येक नागरिक को अपने आवास/स्कूल तथा सरकारी कार्यालयों में झण्डा सम्मान के साथ झण्डा संहिता का अनुपालन करते हुए फहराना/लगाना है।

2- झण्डा फहराते समय सदैव केसरिया रंग की पट्टी झण्डे के ऊपर की तरफ होनी चाहिए।

3- झण्डे को यदि सरकारी परिसर में फहराया जाता है तो सूर्योदय के उपरान्त ध्वजारोहण किया जाना चाहिये तथा सूर्यास्त के साथ ही सम्मान के साथ इसे उतारना चाहिए।

4- दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2024 तक निजी आवासों एवं प्रतिष्ठानों पर लगाये जाने वाले झण्डों को उक्त समयावधि के उपरान्त आदर भाव के साथ उतार कर सुरक्षित रखा जायेगा।

5- झण्डा उतारने के बाद किसी भी नागरिक के द्वारा इसे फेंका नहीं जायेगा। उसे सम्मान के साथ फोल्ड करके रखा जाना चाहिए।

6- विशेष परिस्थितियों में झण्डा रात्रि में फहराया जा सकता है।

7- हर घर पर झण्डा विधिवत् तरीके से लगाया जाना चाहिए। आधा झुका, फटा या कटा झण्डा लगाया जाना निषेध होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>सख्या-</u>

953

प्रेषक,

चिरौंजी लाल,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. - निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 कानपुर।
2. - निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ0प्र0।

09/8/24

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 08-08-2024

विषय- मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 03-08-2024 को आयोजित "काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव एवं हर घर तिरंगा अभियान" की तैयारी बैठक का कार्यवृत्त ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 03-08-2024 को आयोजित "काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव एवं हर घर तिरंगा अभियान" की तैयारी बैठक का कार्यवृत्त (संलग्न संस्कृति अनुभाग के पत्र संख्या-290/2024/2268/चार-2024, दिनांक 07-08-2024) उपलब्ध कराते हुये आवश्यक कार्यवाही करने की अपेक्षा की गयी है।

2- उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रमुख सचिव महोदय द्वारा की गंयी अपेक्षानुसार प्रकरण से संबंधित कार्यवृत्त में उल्लिखित अपने से संबंधित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

10

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
(चिरौंजी लाल)
उप सचिव।

Signed by
Chiraunji Lal
Date: 08-08-2024 18:29:47

श्रीमती शाजिया

09/8/24

संख्या-1725/सोलह-3-2024

संख्या- 3906 /पी0एस0 कैम्प/2024

(1) निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा विभाग।

(2) निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन उ0प्र0।

महोदया/महोदय,

मा0 मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 03-08-2024 को आयोजित "काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव एवं हर घर तिरंगा अभियान" की तैयारी बैठक का कार्यवृत्त संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

कृपया आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

07-08-2024

प्रतिलिपि निम्नलिनखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) विशेष सचिव, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग, उ0प्र0 शासन।

(2) संयुक्त सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।

07-08-2024
(एम० देवराज)
प्रमुख सचिव,
प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा,
कौशल विकास और उद्यमशीलता वि०,
उत्तर प्रदेश शासन।

SO-3
7/8/24

7/8/2024

मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में 'काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव' एवं 'हर घर तिरंगा अभियान' की तैयारी बैठक का कार्यवृत्त

'काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव' एवं 'हर घर तिरंगा अभियान' की तैयारी हेतु दिनांक 03.08.2024 को सम्पन्न समीक्षा बैठक में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा निम्नवत् निर्देश प्रदान किये गयेः-

07-08-2024

1. काकोरी ट्रेन एक्शन पर आधारित महानाटक 'काकोरी गाथा' 45 से 60 मिनट की अवधि का तैयार किया जाये। नाटक के संवाद परिकल्पना एवं दृश्य आदि प्रभावी हों। इस हेतु विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त की जायें।
2. दिनांक 31 अक्टूबर के कार्यक्रम में सरदार बल्लभ भाई पटेल के जीवन से संबंधित प्रेरणादायक कार्यक्रम कराया जाये।
3. दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 को काकोरी शहीदों के बलिदान दिवस पर गोरखपुर, गोण्डा, अयोध्या, प्रयागराज में भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किये जायें, क्योंकि ये स्थान काकोरी शहीदों के बलिदान से जुड़े हुए हैं।
4. काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस की पूर्व संध्या पर दिनांक 08 अगस्त, 2024 को समस्त जनपदों में कार्यक्रम कराये जायें, जिसमें स्थानीय लोक कलाकारों को प्रोत्साहित किया जाये। उनके द्वारा राष्ट्रभक्ति पर आधारित दो से तीन घण्टे की प्रस्तुति दी जायें।
5. हर जनपद में 1-2 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किये जायें जिसमें हर स्थल पर नोडल अधिकारी नामित हों। लोगों के बैठने की समुचित व्यवस्था किया जाये। कार्यक्रम के पहले मिलेट्री / पैरा मिलेट्री / एन0सी0सी0 / पुलिस / पी0ए0सी0/ स्कूल / कालेज के बैण्ड वादन की व्यवस्था की जाये जिसमें आधे घण्टे का कार्यक्रम रखा जाये। बैण्ड वादन के पूर्व उन्हें समुचित तरीके से ट्रेनिंग भी दी जाये।
6. दिनांक 09 अगस्त, 2024 को प्रत्येक जनपद में काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह का शुभारम्भ कार्यक्रम आयोजित किये जायें। काकोरी शहीद स्मारक, लखनऊ में आयोजित हो रहे मुख्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सजीव प्रसारण पूरे प्रदेश में किया जाये। समस्त जनपद स्तर के कार्यक्रमों में लखनऊ के मुख्य कार्यक्रम को वेब लिंक के माध्यम से सजीव प्रसारण किया जाये। इस कार्यक्रम के बाद समस्त जनपदों में एक घण्टे का पृथक से कार्यक्रम आयोजित किया जाये। इस कार्यक्रम के दौरान भूतपूर्व सैनिकों/ शहीद के परिवारीजनों को सम्मानित किया जाये तथा उन्हें लोगो/ स्मृति चिन्ह एवं अंग वस्त्र से सम्मानित किय जाये।
7. लखनऊ एवं शाहजहांपुर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में काकोरी ट्रेन एक्शन के नायकों के परिवारों को सम्मानित किया जाये।
8. प्रदेश के समस्त शहीद स्मारकों, शहीद स्थलों, अमृत सरोवरों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाये।
9. दिनांक 09 अगस्त, 2024 को प्रातः बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा के सभी बोर्डों के विद्यार्थियों की प्रभात फेरी निकाली जायें, जिसमें बच्चे राष्ट्रभक्ति से संबंधित नारे लिखी तख्तियां लिये हुए हों और राष्ट्रभक्ति गीतों को गाया जाये/बजाया जाये। प्रभात फेरी के समापन पर शिक्षकों द्वारा काकोरी ट्रेन एक्शन का वृतान्त बच्चों को सुनाया जाये एवं मिष्ठान्न का वितरण किया जाये।
10. दिनांक 14 अगस्त, 2024 को 'विभाजन विभीषिका दिवस' का आयोजन किया जाये।
11. दिनांक 15 अगस्त, 2024 को स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया जाये। इस अवसर पर जिले में विभिन्न विधाओं से संबंधित सर्वोच्च लोगों को सम्मानित किया जाये एवं उनको काकोरी स्मारक का भ्रमण भी कराया जाये।
12. दिनांक 09 अगस्त से 15 अगस्त, 2024 तक कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा तैयार कर ली जाये। सभी कार्यक्रम एक ही दिन न हो कर अलग-अलग दिवसों में अलग-अलग प्रकृति के कार्यक्रम आयोजित किये जायें।
13. उक्त के पश्चात् वर्ष भर काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम आयोजित किये जायें।
14. इस अवसर पर शहीद स्मारकों पर पुष्पांजलि एवं पुलिस/पी0ए0सी0/होमगार्ड/अर्द्धसैनिक/सैनिक बलों के बैण्ड का वादन हो। यदि उस जनपद में उक्त बैण्ड उपलब्ध न हो तो एन0सी0सी0/विद्यालयों के बैण्ड की प्रस्तुति की जाये।
15. लखनऊ एवं शाहजहांपुर में आयोजित हो रहे शहीद मेले में उत्तर प्रदेश में निर्मित उत्पादों की ही बिक्री की जाये। विदेशी उत्पादों की बिक्री नहीं की जाये।

1- यह शासनादेश. इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लखनऊ एवं शाहजहांपुर में आयोजित होने वाले शहीद मेले में पुस्तक मेले का आयोजन किया जाये जिसमें विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों को विद्यालयों के माध्यम से क्रमानुसार विभिन्न तिथियों में भ्रमण हेतु लाया जाये। बच्चों के आने- जाने की निःशुल्क व्यवस्था कराई जाये तथा खाने एवं पानी की व्यवस्था विद्यालय स्वयं करायें।

16. रक्तदान शिविर काकोरी ट्रेन एक्शन की पूर्व संध्या पर आयोजित किया जाये।
17. इस अवसर पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाये जिसमें अनिवार्य रूप से राष्ट्रभक्ति की कविताओं का ही पाठ हो।
18. दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2024 तक **'हर घर तिरंगा अभियान'** का आयोजन किया जाये इस हेतु नागरिकों को झण्डा खरीदने के लिये प्रेरित किया जाये। विभिन्न संस्थाओं/संगठनों के सहयोग से झण्डा वितरण कराया जाये। झण्डे की दर रियायती रखा जाये। झण्डों का विक्रय दिनांक 09.08.2024 से ही प्रारम्भ कर दिया जाये। इस कार्यक्रम के दौरान पुलिस/ पी0ए0सी/ मिलेट्री/ पैरा मिलेट्री/ एन0सी0सी./ स्कूल बैण्ड वादन किया जाये।
19. विभिन्न विभाग 1857 से 1947 तक स्वतंत्रता आंदोलन की घटनाओं पर हिन्दी, अंग्रेजी एवं संस्कृत भाषा में निबन्ध लेखन प्रतियोगिता आयोजित करें। निबन्ध अधिकतम 1000 शब्दों का हो।

<u>विभिन्न विभागों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही -</u>

<u>बेसिक शिक्षा विभाग</u>-

- बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रभात फेरी का आयोजन किया जाये जो लगभग आधे किमी0 की हो।
- प्रभात फेरी के पश्चात् बच्चों को डेढ़ से दो पेज का आलेख पढ़कर सुनाया जाये एवं उसके पश्चात् मिष्ठान वितरण किया जाये।
- बच्चों की सुलेख प्रतियोगिता भी कराई जाये।

<u>माध्यमिक शिक्षा विभाग</u>-

- सभी बोर्ड - यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई एवं संस्कृत विद्यालयों में निबन्ध, वाद-विवाद प्रतियोगितायें आयोजित की जाये।
- प्रत्येक तिथि पर अलग- अलग कार्यक्रम का आयोजन हों।
- पहले चरण में जनपद स्तर पर इंटरमीडिएट कॉलेज में वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाये जिसमें काकोरी एक्शन प्लान क्या था और देश की आजादी में उसका क्या योगदान था, आदि से संबंधित विषय रखा जाये।
- 1857 से 1947 तक के स्वतंत्रता संग्राम पर सरल भाषा में छोटी पुस्तिका प्रकाशित कर समस्त विद्यालयों में वितरित कराये। उक्त पुस्तिका में संचित स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जानकारी के आधार पर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाये। प्रथम चरण में जनपद स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन हो, जिनके विजेताओं को दिनांक 15 अगस्त, 2024 के कार्यक्रम में पुरस्कृत किया जाये। द्वितीय चरण राज्य स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन हो, जिनके विजेताओं को आगामी उत्तर प्रदेश दिवस के कार्यक्रम में पुरस्कृत किया जाये।
- इस अवसर पर चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाये जिसमें विभिन्न जनपदों में शहीद एवं वीरांगनाओं के चित्र से संबंधित विषय रखे जायें।

<u>उच्च शिक्षा विभाग</u>-

- वाद-विवाद एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित किया जाये जिसमें विषय पहले से निर्धारित हो।

<u>तकनीकी शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा विभाग</u>-

- काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान एवं 1857 की लड़ाई से संबंधित घटनाओं का प्रदर्शन नई तकनीकी के आधार पर किया जाय।

<u>चिकित्सा शिक्षा विभाग</u>-

- विभाग द्वारा उपरोक्तानुसार विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाये।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

नगर विकास विभाग-

- नगरीय क्षेत्रों में विशेष रूप से शहीद स्मारकों, शहीद स्थलों, के आसपास विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाये एवं उपरोक्त समस्त कार्यक्रम व्यवस्थित तरीके से कराये जाये।

पंचायती राज विभाग-

- समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से शहीद स्मारकों, शहीद स्थलों, के आसपास विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाये एवं उपरोक्त समस्त कार्यक्रम व्यवस्थित तरीके से कराये जाये।
- 15 अगस्त पर अमृत सरोवर पर कार्यक्रम आयोजित किया जाये और जहां अमृत सरोवर नहीं हैं, वहां पंचायत सचिवालय में कार्यक्रम आयोजित किये जायें।

अल्पसंख्यक विभाग-

- इस अवसर पर प्रदेश के सभी मदरसों में तिरंगा ध्वज फहराया जाये एवं राष्ट्रगान का गायन हो।

खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग-

- विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यक्रमों की अभी से तैयारी प्रारम्भ की जाये।

खेल एवं युवा कल्याण विभाग-

- काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस दिनांक 09 अगस्त, 2024 को नागपंचमी की तिथि है। इस अवसर पर प्रायः सभी ग्रामों में दंगल आदि का आयोजन होता है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग इन खेलकूद आयोजनों को काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव शुभारम्भ कार्यक्रमों से जोड़ कर कराया जाये। युवा/ महिला मंगल दल को भी आयोजन के साथ जोड़ा जाये।

कृषि शिक्षा विभाग-

- कृषि विज्ञान केन्द्रों पर कृषकों को कृषि चर्चा पर आमंत्रित किया जाये।
- किसान सम्मान निधि से लाभान्वित किसानों को झण्डा खरीदने के लिये प्रेरित किया जाये।
- मंडी समितियों में स्वच्छता अभियान चलाया जाये।
- राष्ट्रभक्ति के गीत बजाये जायें।
- नगर विकास विभाग की भांति डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लगाये जायें।

गृह विभाग-

- गृह विभाग सुनिश्चित करे कि दिनांक 09, 14 एवं 15 अगस्त, 2024 को समस्त शहीद स्मारकों, शहीद स्थलों पर पुलिस/पी0एस0सी0/होमगार्ड/अर्द्धसैनिक/सैनिक बलों के बैण्ड का वादन हो। यदि उस जनपद में उक्त बैण्ड उपलब्ध न हों तो एन0सी0सी0/विद्यालयों के बैण्ड की प्रस्तुति की जाये। इस हेतु बैण्ड वादकों का पूर्वाभ्यास अभी से प्रारम्भ कर दिया जाये।

20. समस्त संबंधित मा0 मंत्रीगण, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/विभागाध्यक्ष अपने-अपने विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग करके गरिमापूर्ण आयोजन हेतु निर्देशित करें।
21. मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक जनपद स्तरीय अधिकारीगण के साथ विडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव एवं हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों की समीक्षा करें, जिससे दोनों कार्यक्रम भव्यता के साथ सम्पन्न हों।
22. समस्त कार्यक्रम प्रभावी ढंग से आयोजित हों एवं सेल्फी अपलोड करने की व्यवस्था की जाये। अच्छे सेल्फी को पुरस्कृत करने की व्यवस्था की जाये।
23. दिनांक 09 अगस्त को अलग- अलग जनपदों में मा0 केन्द्रीय मंत्रीगण, मा0 मंत्री गण, जनपद के वरिष्ठ मा0 प्रतिनिधिगण उपस्थित रहेंगे।

अंत में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

मुकेश कुमार मेश्राम
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

shasanadesh.up.gov.in

उत्तर प्रदेश शासन
संस्कृति अनुभाग
संख्या: 290 / 2024/ 2268 /चार-2024
लखनऊ दिनांक 07 अगस्त, 2024

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त संबंधित अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त पुलिस आयुक्त/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
6. निजी सचिव, समस्त संबंधित मा0 मंत्रीगण, उत्तर प्रदेश शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रवीन्द्र कुमार
विशेष सचिव

https://shasanadesh.up.gov.in

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय
उत्तर प्रदेश

पृ0सं0 36217-438 /जे0–प्रशा0/वि0प्र0 कानपुरः दिनांकः 09/8 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपसचिव, उत्तर प्रदेश शासन, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–3, लखनऊ का पत्र संख्या–16–3010(099)/3/2020 दिनांक 08.08.2024 तथा प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–3906/पी0एस0कैम्प/2024 दिनांक 07.08.2024 के साथ संलग्न मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 03.08.2024 को आयोजित "काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव एवं हर घर तिरंगा अभियान" की तैयारी बैठक का कार्यवृत्त दिये गये निर्देशों का अनुपालन किये जाने हेतु प्रेषितः–

1– उपसचिव, उत्तर प्रदेश शासन, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–3, लखनऊ को सूचनार्थ।
2– निदेशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0, कानपुर।
3– सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय से कि निजी क्षेत्र की संस्थाओं को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
4– सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
5– समस्त संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, प्राविधिक शिक्षा, मध्य क्षेत्र, लखनऊ/पूर्वी क्षेत्र, वाराणसी/पश्चिमी क्षेत्र, दौराला, मेरठ/बुन्देलखण्ड क्षेत्र, झांसी।
6– समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय/अनुदानित पालीटेक्निक, संस्थाएं, उ0प्र0।
7– नजारत अधिकारी, प्राविधिक शिक्षा, निदेशालय, उ0प्र0।

(आशीष गुप्ता)
प्रधानाचार्य (मुख्यालय)
कृते निदेशक प्राविधिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश।

O/C

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।